संख्या : 5244 / जी0एस0(शिक्षा) /A3-54 / 2018

प्रेषक,

रीना जोशी,
कुलाधिपति के अपर सचिव।

सेवा में,

कुलपति,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय,
नैनीताल।

राज्यपाल / कुलाधिपति सचिवालय : उत्तराखण्ड

देहरादून दिनांक 22 अक्टूबर, 2026

महोदय,

कृपया कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल द्वारा एफिलिएशन पोर्टल पर प्रेषित प्रस्ताव, पंजीकरण क्रमांक 260728030328, दिनांक 30.09.2026 एवं पंजीकरण क्रमांक 260728034423, दिनांक 30.09.2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनमें **वासुदेव कॉलेज ऑफ लॉ, लामाचौड़, हल्द्वानी, नैनीताल को एल0एल0बी0(त्रिवर्षीय) एवं बी0ए0–एल0एल0बी0(पॉच वर्षीय) पाठ्यक्रमों में शैक्षिक सत्र 2026–27 हेतु अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण प्रस्ताव** संस्तुति सहित इस सचिवालय को उपलब्ध कराये गये हैं।

2– उक्त सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्डल की आख्या, कुलसचिव एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 (यथाप्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा–37(2) के अन्तर्गत संस्थान को निम्न तालिका के अनुसार उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रमों, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण प्रस्ताव पर मा0 कुलाधिपति द्वारा निम्न उपबन्धों के साथ अनुमोदन / स्वीकृति प्रदान की गई है :–

क्रमांक	महाविद्यालय / संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता (कुलपति की संस्तुतिनुसार)	अस्थाई सम्बद्धता की अवधि
1	2	3	4	5
01.	वासुदेव कॉलेज ऑफ लॉ, लामाचौड़, हल्द्वानी, नैनीताल।	एल0एल0बी0 (त्रिवर्षीय)	180 सीट	2026–27
		बी0ए0–एल0एल0बी0 (पॉच वर्षीय)	180 सीट	

- निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद, U.G.C. विनियमों व नियामक संस्था के मानकों के पूर्ण करने की दशा में सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्रवाई करें व विश्वविद्यालय तत्सम्बन्धी कृत कार्रवाई की सूचना मा0 कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ 02 माह में उपलब्ध करायें।
- प्रश्नगत प्रस्ताव पर निर्णय मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में दायर रिट याचिका 353 / 2017 के सम्बन्ध में दिनांक 26.04.2017 में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश में संस्थान को प्रदान की गई अंतरिम राहत के क्रम में लिया जा रहा है। विश्वविद्यालय का यह दायित्व होगा कि संस्थान से प्राभूति राशि हेतु निर्धारित मानकों / प्रक्रियाओं का अनुपालन करवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें, ताकि असामान्य परिस्थितियों में संस्थान

File No. RB-EDUC02/612/2023-RAJBHAWAN (Computer No. 1098)

को बिना किसी सहायता एवं बाहरी स्त्रोत के संचालित कराते हुए अध्ययनरत् छात्रों के हितों की रक्षा की जा सके।

- अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव U.G.C. विनियम/नियामक संस्था एवं शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार्य होंगे अन्यथा की स्थिति अपूर्ण प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा, जिसका पूर्ण दायित्व विश्वविद्यालय का होगा।

भवदीय,
Digitally signed by
Reena Joshi
Date: 22-10-2026
15:04:04
(रीना जोशी)
कुलाधिपति के अपर सचिव।

संख्या 5244(1)/जी0एस0(शिक्षा)/A3-54/2018 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
3. प्रबन्धक/प्राचार्य– सम्बन्धित संस्थान।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,
Digitally signed by
Shri Laxman Ram Arya
Date: 22-10-2026
15:25:51
(लक्ष्मण राम आर्य)
कुलाधिपति के उपसचिव।

File No. RB-EDUC02/612/2023-RAJBHAWAN (Computer No. 1098)